# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 3692 /37, वन भूमि हस्तान्तरण /2020–21, रामनगर, दिनांक, मार्च 20 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र,
उ0प्र0 कानपुर।

विषय : जनपद चन्दौली के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग के किमी0 0.00 से 7.500 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोगों की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : उप सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, लखनऊ का पत्र संख्या– पी–30/81–2–2020–800(85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या–2209/11–सी–FP/UP/Road/35290/2018 लखनऊ, दिनांक जून 17,2020

महोदय,

विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक 11 जून–2020 द्वारा 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी करते हुए अनुपालन आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–7930/37, दिनांक 30.06.2020 एवं पत्र संख्या–3197/37, दिनांक 20.02.2021 द्वारा वांछित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या आवश्यक अभिलेखों सहित टेबुलर फार्म में उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0, चन्दौली से अनुरोध किया गया था। उक्त पत्र के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0, चन्दौली ने अपने पत्र सख्या 76/1सी, दिनांक 09.02.2021 एवं पत्र संख्या 122/1सी/2021, दिनांक 10.03.2021 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या टेबुलर फार्म में आवश्यक अभिलेखों सहित काशी वन्य जीव प्रभाग में दिनांक 15.03.2021 को उपलब्ध कराया गया है। अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0, चन्दौली द्वारा उपलब्ध कराये गये बिन्दुवार आख्या के आधार पर उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 11 जून, 2020 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित चार प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित है। –

| SL No | Conditions | Status of Compliance |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | The Forest area involved in not within a national Park and/ of Wild Life Sanctuary | प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बॉध/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है। |
| 2 | User Agency (UA) shall explore all feasible alternatives to minimize user of forest land. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 3 | Forest Land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall used only when it is unavoidable. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 4 | The UA shall submit scheme for compensatory Afforestation as per extent guidelines in the matter. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्कीम वन भूमि, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 5 | The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित 6.75 है0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि 6411671.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम Is UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135276789 में प्रस्तावक द्वारा जमा कर दी गई है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1 व 2) |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 6 | In addition to monthly report of diversions of forest land under General Approval according by MoEF&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending june 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose to the MoEF&CC and its concerned Regional Office. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग मार्ग चौड़ीकरण हेतु ही किया जायेगा तथा बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में समय रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) |
| 7 | The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office MoEF&CC. | इस वन प्रमाग से सम्बन्धित नहीं है। |
| 8 | The legal status of the land shall be remain unchamced. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।(प्रमाण-पत्र संलग्न है)<br>संलग्नक :- 3 |
| 9 | The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ) | प्रश्नगत वन भूमि eco-sensitive zone (ESZ) जोन से बाहर है। |
| 10 | The User agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forest and from State/UT Government. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ0प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। |
| 11 | The Nodal officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. | प्रभाग से सम्बन्धित नही है। |
| 12 | The user Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surrounding and therefore, shall take all possible measures in this regard. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा(वनस्पति)/फना(वन्य जीव) का संरक्षण करेगा। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) संलग्नक-4 |
| 13 | The forest land shall not be used for any purpose other than specification in the proposal. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) संलग्नक -5 |
| 14 | Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land. | वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा जारी प्रमाण-पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 15 | The State/UT Forest department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may Impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development of forests. | भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा जो भी शर्तें लगायी जायेंगी उसे अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है। (प्रमाण-पत्र संलग्न है) |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में वृक्षों का पातन नही किया जायेगा है। प्रस्तावित गैरवनभूमि पर वृक्षारोपण तथा 10 वर्षो के अनुरक्षण की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी तथा निकटवर्ती वनों की क्षति न हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को कोई क्षति नही होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न है) |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 18 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 19 | प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षों के लिए रख-रखाव किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 6.75 है0 के सापेक्ष काशी वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम लेहड़ा में संख्या-1/2, 2/2, 18/1 व ग्राम टिकुरिया में संख्या-200,230 तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली के अन्तर्गत 6.75 है0 वन भूमि जिलाधिकारी चन्दौली के कार्यालय आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करते हुए खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। (संलग्नक-6 खतौनी सहित) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख-रखाव करने हेतु रू0 6411671.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135276789 में प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कराते हुए उसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी है (संलग्न संख्या-1व 2) |
| 20 | प्रस्ताव विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या- 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation fund Management and planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेग। तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन मे प्रस्तावक विभाग द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रख-रखाव करने हेतु रू0 6411671.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC Code CORP0000371 Account No. 150906135276789 में प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा कराते हुए उसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी है। (प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 21 | उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण जमा करना होगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 23 | भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या जे0-11013/41/2006-आई0ए0-II (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्ताव विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है तो (If applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया | लागू नहीं है। |



Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | जायेगा। | |
| 24 | समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 25 | उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 26 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) में दर्शाया गया हो। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न कर, प्रस्तुत कर दिया गया है।(प्रमाण पत्र संलग्न है) |
| 27 | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों /प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त शर्तो का अनुपालन कर लिया गया है तथा प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त अनुपालन आख्या में उल्लिखित आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रश्नगत वन भूमि का निरीक्षण दिनांक 18.03.2021 को किया गया। निरीक्षणोपरान्त वांछित प्रमाण-पत्र सहित अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति निर्गत करने की संस्तुति सहित प्रेषित है। संलग्नक-9 |
| 28 | CA amount as per proposal | 991421.00 |
| 29 | CA amount as per deposited | 991421.00 |
| 30 | Difference in amount | Nill |
| 31 | Reason for difference | Nill |
| 32 | NPV amount as per proposal | 5420250.00 |
| 33 | NPV amount deposited | 5420250.00 |
| 34 | Difference in amount | Nill |
| 35 | Reason for difference | Nill |
| 36 | Any other amount deposited (Complete details be provided) | Nill |
| 37 | CAMPA confirmation | |

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 सरकार के स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में

भवदीय,

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 3692/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0 चन्दौली को उनके पत्र संख्या 123/1सी/2021, दिनांक 10.03.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दिनेश सिंह),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

Scanned with CamScanner

# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
# अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0
## चन्दौली

दिनांक 09/02/2021

पत्रांक 76/1C

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग,रामनगर,
वाराणसी।

विषय :- जनपद चन्दौली में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा सम्पर्क मार्ग किमी0 0.00 से 7.50 किमी0 तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 6.75 हे0 आरक्षित वनभूमि के विना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन (अनुभाग–2) उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या– पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ, दिनांक 11 जून, 2020**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्गित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तो के विन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद (आनलाइन प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण–पत्र की मूल हस्ताक्षरित 05–05 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर निम्नानुसार प्रेपित है :–

| Sl No | Conditions | Reply/Enclosers |
|---|---|---|
| 1 | The Forest area involved is not within a national Park and/or a Wild Life Sanctuary | इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभ्यारण्य/रिजर्व बाघ/हाथी कोरीडोर के अन्तर्गत नही आता है। इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 2 | User Agency ( UA) shall explore all feasible alternatives to minimize use of forest land. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है एवं अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 3 | Forest Land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु न्यूनतम वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। इससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 4 | The UA will submit scheme for compensatory Afforestation as per extant guidelines in the matter. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु स्कीम वन भूमि, वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 5 | The UA shall pay the applicable NPV in pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court. | इस विन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित इससे सम्बन्धित 6.75 हे0 वन भूमि का एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि रू0 6411671.00/– परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-CORP0000371 Account No. 150906135276789 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1 व 2) |
| 6 | In addition to monthly report of diversions of forest land under | शर्त संख्या–6 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से |

RAC
प्र0स0
12/02/21

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ...approval according by ...&CC, each State/UT Government shall submit half yearly reports for the period ending june 30 and December 31 containing details of all forest lands diverted under the General Approval along with the actual status of actual utilization of the forest lands so diverted for the stated purpose to the MoEF&CC and its concerned Regional Office. | सम्बन्धित नही हैं। |
| 7 | The diversions and compliance to the conditions will be monitored by the concerned Regional Office MoEF&CC. | शर्त संख्या–7 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नही हैं। |
| 8 | The legal status of the land shall remain unchanced. | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि की वैधानिक स्थिति को परिवर्तन न किये जाने के सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3) |
| 9 | The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ) | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि eco-sensitive zone (ESZ) जोन से बाहर है। |
| 10 | The User agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forest and from State/UT Government. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये ऑन लाईन प्रस्ताव को सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही उ0प्र0 सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश जारी किया गया है। |
| 11 | The Nodal officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. | शर्त संख्या–11 का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण से सम्बन्धित नही हैं। |
| 12 | The user Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surrounding and therefore, shall take all possible measures in this regard. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि के आरा–पास स्थिति को कोई क्षति नही पहुँचायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक :– 4) |
| 13 | The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक :– 5) |
| 14 | Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land. | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा जारी प्रमाण–पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 15 | The State/UT Forest department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may Impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and / or development of forests. | इस बिन्दु के अनुपालन में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है। |
| 16 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | [illegible] अपरिहार्य परिस्थिति एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा तथा पातन लागिंग आदि का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। | में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है। |
| 17 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वनों की क्षति न हो। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को कोई क्षति नही होगी। |
| 18 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जायेगा। |
| 19 | प्रभावित आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षो के लिए रख–रखाव किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि परियोजना में प्रभावित आरक्षित वन भूमि 6.75 हे0 के सापेक्ष काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अंतर्गत ग्राम लेड़हा एवं ग्राम टिकुरिया परगना केरामगरौर तहसील नौगढ़ जिला चन्दौली के अंतर्गत 6.75 हे0 गैर वन भूमि जिलाधिकारी चन्दौली के कार्यालय आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष में अमलदरामद करते हुए खतौनी में दर्ज कर दिया गया है। **(संलग्नक–6 खतौनी सहित)** क्षतिपूरक वृक्षारोपण और दस वर्षो के लिए रख रखाव की लागत जमा करा दी गयी है। |
| 20 | प्रस्ताव विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation fund Management and planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगा। तत्पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक हेतु रू0 6411671.00/– की धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई–चालान के माध्यम से Uttar Pradesh Campa, IFSC Code-CORP0000371 Account No. 150906135276789 में जमा करा दिया गया है। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है।<br>(संलग्नक–1 व 2) |
| 21 | उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ... में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी। | वन भूमि का उपयोग आवश्यकता रहने तक मार्ग निर्माण के उपयोग हेतु ही किया जायेगा। यदि आवश्यकता नही रहेगी तो प्रश्नगत वन भूमि को वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा एवं इस हेतु वन विभाग से किसी प्रकार का प्रतिकर आदि की मांग नही की जायेगी। वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक :– 7) |
| 22 | प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण जमा करना होगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अण्डरटेकिंग वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 23 | भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0(पी0टी0) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या जे0–11013/41/2006–आई0ए0–II (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्ताव विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने यदि लागू है तो (If applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन आवश्यक नही है। |
| 24 | समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। |
| 25 | उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक :– 8) |
| 26 | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक | इस बिन्दु के अनुपाल में अवगत कराना है। भूसंदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र सक्षम प्राधिकारी एवं प्रभागीय |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | ...98–एफ0सी0 दिनांक 08. 07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो। | निदेशक द्वारा प्रमाणित कर मूल प्रस्ताव में संलग्न है। |
| 27 | उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिवन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। | इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों की अनुपालन किया गया है एवं प्रभागीय निदेशक द्वारा निरीक्षणोपरान्त वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है।<br>(संलग्नक :– संख्या 9) |

उपरोक्तानुसार उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र सहित सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि लीनियर प्रोजेक्ट होने के कारण कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हुए इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

पत्रांक                                   दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.जिलाधिकारी, जनपद चन्दौली
2.अधीक्षण अभियन्ता, पीएमजीएसवाई वृत्त, लो0नि0वि0, वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 1

NEFT RTGS CHALLAN

**AGENCY COPY**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

**Date : 19-11-2020**

| | |
|---|---|
| Agency Name. | EE PMGSY PWD CHANDAULI |
| Application No. | 6135276789 |
| MoEF/SG File No. | P-30/81-2-2020-800(85)/2019 |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address. | Temporary Division (P.P.),PWD ChandauliChandauli |
| Amount(in Rs) | 6411671/- |

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Eleven Thousand Six Hundred and Seventy-One Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150906135276789 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


**BANK COPY**

**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

**Date : 19-11-2020**

| | |
|---|---|
| Agency Name. | EE PMGSY PWD CHANDAULI |
| Application No. | 6135276789 |
| MoEF/SG File No. | P-30/81-2-2020-800(85)/2019 |
| Location. | UTTAR PRADESH |
| Address: | Temporary Division (P.P.),PWD Chandauli Chandauli |
| Amount(in Rs) | 6411671/- |

Amount in Words :Sixty-Four Lakh Eleven Thousand Six Hundred and Seventy-One Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | UTTAR PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150906135276789 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


SBIN320330659892

**After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in**

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, चन्दौली State Bank of India, Branch-Chandauli 25 NOV 2020 ID No.- 8444595 संदीप शर्मा / ग्राहक सेवा सहायक

Executive Engineer Div (P.P.) PWD, Chandauli

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी



Scanned with CamScanner

सत्यम —

| Sno. | Proposal Detail | Application_No | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.) | Payment Status | Payment Detail | Demand Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UP/ROAD/35276/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/35276/2018)<br><br>WIDENING & STRENGTHENING OF NAUGARH TO CHAKARGHATTA ROAD FROM KM 0.00 TO 7.500 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-NAUGARH, DISTT.-CHANDAULI BY TEMPORARY-DIVISION (P.P.), P.W.D., CHANDAULI (U.P.) | ROAD352762018789 | 6135276789 | 11 Jun 2020 | CA: 991421/-, Addl CA: 0/-<br>PCA: 0/-, CAT: 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-<br>NPV: 5420250/-, NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>Total: 6411671/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Nov 2020<br>Bank Name: Corporation Bank<br>Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On: 24 Nov 2020<br>Transaction Date: 25 Nov 2020 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111712531223CI2MTChakarghattard.pd<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD352762018789) |
| 2 | FP/UP/ROAD/35290/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/35290/2018)<br><br>WIDENING & STRENGTHENING OF NAUGARH TO BANDH ROAD FROM KM 0.00 TO 12.000 UNDER ROAD CONNECTIVITY PROJECT ON LEFT WING EXTREMISM AREA (RCPLWEA) IN TAH.-NAUGARH, DISTT.-CHANDAULI BY TEMPORARY-DIVISION (P.P.), P.W.D., CHANDAULI (U.P.) | ROAD352902018796 | 6135290796 | 11 Jun 2020 | CA: 1454110/-, Addl CA: 0/-<br>PCA: 0/-, CAT: 0/-<br>Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/-<br>NPV: 7949700/-, NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>NIL: 0/-<br>Total: 9403810/- | Paid | Fund Demand Verified by Nodal Officer On: 18 Nov 2020<br>Bank Name: Corporation Bank<br>Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated On: 24 Nov 2020<br>Transaction Date: 25 Nov 2020 | Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11111712551223SRQN6Bandhrd.pdf)<br><br>Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD352902018796) |

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/) india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) myGOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/) Open Government Data (OGD) Platform India MeitY

c/s
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग

संलग्नक–3

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018)की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तो के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर–वाराणसी

Scanned with CamScanner

संलग्नक–4

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या– 0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या––(FP/UP/Road/35276/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तो के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक–11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–12 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि एवं उसके आस–पास की भूमि पर स्थित फ्लौरा एवं फौना की कोई क्षति नही पहुँचाई जायेगी इस हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–5

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तो के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30 / 81–2–2020– 800 (85) / 2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–13 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल मार्ग के उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन के लिए नही किये जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–6

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–20 के अनुपालन में ग्राम–लेड़हा परगना केरामगरौर तहसील नौगढ़ जिला चन्दौली के गाटा संख्या 1/2 में 0.787 हे0, गाटा संख्या 2/2 में 1.635 हे0 तथा गाटा संख्या 18/1 में 2.854 एवं ग्राम टिकुरिया परगना केरामगरौर तहसील नौगढ़ जिला चन्दौली के गाटा संख्या– 200 में 1.176 तथा गाटा संख्या–230 में 0.298 कुल पाँच गाटे में 6.750 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया गया है। जिससे सम्बन्धित खतौनी सत्यापित कर संलग्न है।

c/s

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2082942021033

ग्राम क्रमांक : 208294 ग्राम का नाम / परगना : सेड़हा(केरामगारोर) तहसील : नौगढ़ जनपद : चन्दौली फसली वर्ष : 1428-1433 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ---------------2--------------- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | | | | | | | |
| 00044 | बंजर / / नि. ग्राम | | 1/2 | 0.7870 | | 1428फ0- आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 939 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 37/सात-स0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 मे उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम सेड़हा, परगना केरामगरोर, तहसील नौगढ़ जनपद चन्दौली के आ0नं0 1/2 रकबा 0.787हे0 , आ0नं0 2/2 रकबा 1.635हे0, आ0नं0 18/1 रकबा 2.854हे0 कुल 03 गाटा रकबा 5.276हे0 श्रेणी 5-3(ङ.) बंजर सड़क निर्माण के बदले मे क्षतिपूरक वनीकरण हेतु। ह0अ0 30.01.2021 | |
| | | | 2/2 | 1.6350 | | | |
| | | | 5/1 | 0.4740 | | | |
| | | | 2/3 | 1.8870 | | | |
| | | | 7/1 | 0.0380 | | | |
| | | | 9/2/1मि | 0.0320 | | | |
| | | | 10/2 | 0.2810 | | | |
| | | | 11/2 | 2.1600 | | | |
| | | | 17 | 0.2840 | | | |
| | | | 18/1 | 2.9840 | | | |
| | | | 18/2 | 0.6960 | | | |
| | | | 20/1 | 1.0780 | | | |
| | | | 21/1 | 0.0890 | | | |
| | | | 23 | 0.1320 | | | |
| | | | 36 | 0.3410 | | | |
| | | | 32/2 | 0.0250 | | | |
| | | | 33/3 | 0.0250 | | | |
| | | | 38/4 | 0.0380 | | | |
| | | | 41 | 0.0160 | | | |
| | | | 36/5 | 0.1260 | | | |
| | | | 42 | 0.0250 | | 1428फ0- संशोधित आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 51 दिनांक 10.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय | |
| | | | 43 | 0.0250 | | | |

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0
चन्दौली

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

तहसीलदार नौगढ़ चन्दौली



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44<br>45<br>36/12 | 0.0380<br>3.7270<br>9.2810 | | जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 37/सात-सं0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 मे उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम लेडहा, परगना केरामगरोर, तहसील नौगढ जनपद चन्दौली के आ0नं0 1/2 रकबा 0.787हे0 , आ0नं0 2/2 रकबा 1.635हे0, आ0नं0 18/1 रकबा 2.854हे0 कुल 03 गाटा रकबा 5.276हे0 श्रेणी 5-3(ङ.) बंजर निरस्त होकर वन विभाग को सडक निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दर्ज की जाती है । ह0अ0 10.03.2021 | |
| | | | 25 | 26.2240 | ₹ 0.00 | 2 | 0 |

कुल गाटे- दो पाँच    कुल क्षेत्रफल- दो छ: दशमलव दो दो चार शून्य (हेक्टेयर)    कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

**Data Digitally Signed by: SANDEEP KUMAR SINGH**

सक्षम अधिकारी: SANDEEP KUMAR SINGH
तहसील: नौगढ जनपद: चन्दौली
दिनाक एवं समय: 10-03-2021 03.24.23

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

O यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा [illegible] तत्पश्चात डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्त...

नौगढ, जनपद-चन्दौली

C/S

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

10/3

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0
चन्दौली

Scanned with CamScanner

# उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 208393202103

ग्राम क्रमांक : 208393 ग्राम का नाम / परगना : टिकुरिया,केरामगारोर। तहसील : नौगढ़ जनपद : चन्दौली फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -----2----- | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 5-3-ख / कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकार के वृक्ष,झाड़ियों के झुन्ड,झाड़ियाँ इत्यादि हों। | | | | | | | |
| 00065 | जंगल झाड़ी / / | | 2ग | 0.6620 | | 1428फ0- आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 938 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 35/सात-स0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम-टिकुरिया, परगना-केरामगरोर, तहसील-नौगढ़, जनपद-चन्दौली के आ0नं0 198 रकबा 0.499हे0, आ0नं0 197घ रकबा 6.094हे0, आ0नं0 234ग रकबा 3.307हे0, आ0नं0 200 रकबा 1.176हे0, आ0नं0 230 रकबा 0.298हे0 कुल 05 गाटा रकबा 11.374हे0 श्रेणी 5-3(ख) जंगल झाड़ी सड़क निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु। ह0अ0 30.01.2021 | |
| | | | 16 | 0.4950 | | | |
| | | | 17ख | 0.0570 | | | |
| | | | 22ख | 0.0380 | | | |
| | | | 28ग | 0.1770 | | | |
| | | | 38क | 3.4430 | | | |
| | | | 41 | 0.0110 | | | |
| | | | 60 | 0.5690 | | | |
| | | | 86 | 0.0060 | | | |
| | | | 132 | 0.0480 | | | |
| | | | 133 | 0.1690 | | | |
| | | | 134 | 0.2020 | | | |
| | | | 137 | 0.2150 | | | |
| | | | 190 | 0.0820 | | | |
| | | | 194ख | 0.0470 | | | |
| | | | 197घ | 8.8000 | | | |
| | | | 198 | 0.4990 | | | |
| | | | 200 | 1.1760 | | | |
| | | | 201 | 0.0550 | | | |
| | | | 215ख | 0.0510 | | | |
| | | | 230 | 0.2980 | | | |
| | | | 234ग | 3.4450 | | | |

c/s

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र0प0) लो0नि0वि0
चन्दौली

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

तहसील कम्प्यूटर केन्द्र
नौगढ़, जनपद-चन्दौली



Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1413 | 236ख<br>135<br>38ग | 0.1550<br>0.1010<br>1.2650 | | 142कृ0- संशोधित आदेश तहसीलदार नौगढ़ के आर0सी0 51 दिनांक 10.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 35/सात-स0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा राजकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्ध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम-टिकुरिया, परगना-केरामगरोर, तहसील-नौगढ़, जनपद-चन्दौली के आ0नं0 198 रकबा 0.499हे0, आ0नं0 197घ रकबा 6.094हे0, आ0नं0 234ग रकबा 3.307हे0, आ0नं0 200 रकबा 1.176हे0, आ0नं0 230 रकबा 0.298हे0 कुल 05 गाटा रकबा 11.374हे0 श्रेणी 5-3(ख) जंगल झाड़ी निरस्त होकर वन विभाग को सड़क निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दर्ज की जाती है। ह0अ0 10.03.2021 | |
| 4 | | 25 | 22.0740 | ₹ 0.00 | 2 | 0 |

कुल गाटे- दो पाँच कुल क्षेत्रफल- दो दो दशमलव शून्य सात चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

**Data Digitally Signed by: SANDEEP KUMAR SINGH**

सक्षम अधिकारी: SANDEEP KUMAR SINGH
तहसील: नौगढ़ जनपद: चन्दौली
दिनांक एवं समय: 10-03-2021
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

C/S
प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (प्र०ख०) लो०नि०वि०
चन्दौली



Scanned with CamScanner

संलग्नक–7

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–21 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि का उपयोग केवल मार्ग के आवश्यकता होने तक किया जायेगा। यदि मार्ग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो उसे वन विभाग को वापस कर दिया जायेगा। वापस करने के उपरान्त वन विभाग से कोई प्रतिकर की मांग नहीं की जाने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

c/s

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–8

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018)की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तों के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के शर्त संख्या–25 के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि की समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु वचनवद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

c/s

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर–वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,
चन्दौली

Scanned with CamScanner

संलग्नक–9

# वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चन्दौली के काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के अन्तर्गत नौगढ़ से चकरघट्टा (सी0आर0पी0एफ0 कैम्प) मार्ग के चैनेज संख्या–0.000 से 7.500 किमी0 तक के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण से प्रभावित 6.750 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–(FP/UP/Road/35276/2018) की सैद्धातिक स्वीकृति 27 (सत्ताईस) शर्तो के अधीन विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, के आदेश संख्या पी–30/81–2–2020– 800 (85)/2019 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2020 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश के अनुपालन में वॉछित धनराशि जमा कराते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (प्र0प0), लो0नि0वि0, चन्दौली के पत्र संख्या 76/1सी दिनांक 09.02.2021 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत किये गये अनुपालन आख्या के आधार पर प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 09.02.2021 को किया गया।

उ0प्र0 शासन के उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक 11 जून 2020 में अंकित समस्त शर्तो का अनुपालन किया गया है तथा भविष्य में बिना कोई विवाद के अनुपालन करने हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

c/s

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

(मिथिलेश कुमार)
**अधिशासी अभियन्ता**
**अस्थाई खण्ड(प्र0प0),लो0नि0वि0,**
**चन्दौली**

Scanned with CamScanner